

## **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005**

**ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों  
के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,  
जिनका उसके भगरुप या इस बारे सलाह देने के  
प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन  
बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की  
बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों  
के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।**

**(मैनुअल-8)**

**सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड**



विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में कोई समिति/बोर्ड का गठन नहीं है।

